## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 82/2015

उनवान

मिठु पुत्र घासी जाति जाट निवासी ग्राम बुबानिया, नसीराबाद
—— वादी :— जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामा मुतबन्ना मिश्री जाति जाट निवासी ग्राम बूबानिया, नसीराबाद
2. उप पंजीयक, नसीराबाद
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार, नसीराबाद

प्रतिवादीगण :— 2 व 3 जरिये तहसीलदार नसीराबाद , 1 अनुपस्थित

*वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956*

—: निर्णय :— दिनांक :— 14.6.14

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बूबानिया के वंर्किग खसरा नम्बर 1530 रकबा 0—10—0, 1531 रकबा 0—15—0, 1546 रकबा 1—2—0 की आराजी के तत्कालीन खातेदार मिश्री पुत्र ज्वारा की मृत्यु होने पर उसके वारिस रामा मुतबन्ना मिश्री जरियें सुखदेव पुत्र जवारा के द्वारा दिनांक 27.04.1987 को भूमि का बैचान कर कब्जा व दखल वादी को सौप दिया। उक्त विक्रय पत्र की पालना में नामान्तकरण संख्या 52 दिनांक 16.12.88 को कता के नाम वंर्किग जमाबंदी में दर्ज किया गया। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में हाल खसरा नम्बर 75 रकबा 0.20, 147/0.18 को नियमानुसार वादी के नाम दर्ज करने के बजाय त्रटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत इन्द्राज कर दिया गया। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कभी भी विक्रय नही की गयी है। ना ही सुखदेव प्रतिवादी संख्या 1 का विधिक गार्जियन रहा है। आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त है। अतः वाद सव्यय खारिज किय जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादग्रस्त आराजी आराजी वादी की विधिक कयशुदा है ? वादी
2. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज [illegible] से वादी आराजी मुतननाजा पर खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त का अधिकारी है ? वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:29:51 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख, विकय पत्र पेश किये व वादी मिठु व गवाह छोटू के बयान दर्ज करवाये। प्रकरण विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

**तनकी संख्या 1 व 2 :-**

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम बूबानिया के वंर्किग खसरा नम्बर 1530 रकबा 0-10-0, 1531 रकबा 0-15-0, 1546 रकबा 1-2-0 की आराजी सुखदेव पुत्र ज्वारा ने रामा मुतबन्ना मिश्री के संरक्षक की हैसियत से बैचान की थी। उक्त विकय पत्र में विकेता ने अंकित किया है कि मूल खातेदार मिश्री पुत्र ज्वारा नाऔलाद फौत हो गया है। तथा रामा को मिश्री ने गोद लिया था। सुखदेव रामा का जायन्दा पिता है। उक्त पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 22.5.87 को पंजीकृत किया गया। राजस्व अभिलेख में आाजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर मिश्री पुत्र ज्वारा के नाम खातेदारी दर्ज थी। तथा उक्त वंगि जमाबंदी के चााता संख्या 267/280 में उक्त विकय पत्र की पाललना में वादी का नाम नामान्तकरण दर्ज किया गया। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 75 रकबा 0.20 व 147 रकबा 0.18 की आराजी हाल राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। विकय पत्र की पालना पूर्व राजस्व अभिलेख में की जा चुकी है। धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विकेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। बदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज बिना किसी कारण के परिवर्तित करने का कोई विधिक अधिकार नही है। प्रतिवादी ने वाद को कोई ठोस खण्डन पेश नही किया है। प्रकरण विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 अनुपस्थित रहे है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वद के कथनों की ताईद होती है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 75 रकबा 0.20 व 147 रकबा 0.18 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व भिलेख में अमल दामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:29:51 IST
Reason: SelfAttested

*डिक्री व मुकदमें इब्ताई*
*न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद*

**उनवान**

मिठु बनाम रामा

दावा बाबत :–88, 188 राज. का. अधि0 1955, 136 भू रा0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर –82/2015
पेश करने की दिनांक –29.07.15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

बूबानिया के हाल खसरा नम्बर 75 रकबा 0.20 व 147 रकबा 0.18 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व भिलेख में अमल दामद की कार्यवाही करावे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

---

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांकमाह 14/6/24 सन् **2024** को जारी की गयी।

---

| मुददई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा | स्टाम्प वकालतनामा |
| स्टाम्प वकालतनामा | स्टाम्प अरजी |
| स्टाम्प वजह सबूत | मेहनताना वकील |
| मेहनताना वकील | खर्चा गवाहान |
| फीस कमिश्नर | फीस कमिश्नर |
| खर्चा गवाहान | बावत् इजराय हुक्मनामा |
| बाबत् इजराय हुक्मनामा | मुतफरिक |
| मुतफरिक | |

---

मिजान — मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:29:51 IST
Reason: SelfAttested